न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 273/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/296)
पंजीयन दिनांक– 22.10.2021
निर्णय दिनांक– 27.10.2021

1. श्रीमती झमकु पत्नि बालुलाल गुर्जर, निवासी चौसला, ग्राम पंचायत मोतीपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री मदनसिंह चौहान – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध अति. कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के
प्ररकण संख्या 02/2012 (रेफरेंस) निर्णय दिनांक 21.05.2014

निर्णय

दिनांक 27.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 02/2012 (रेफरेंस) निर्णय दिनांक 21.05.2014 के विरूद्ध दिनांक 15.09.2014 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का

क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 22.10.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को कार्यवाही विवरण में अंकित मिसल संख्या से दिनांक 16.06.1992 को पूर्व में पर्याप्त भूमि होते हुए भी आंवटन कर दिया तथा दिनांक 23.06.2000 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये। उक्त भू–आवंटन नियम विरूद्ध होने से भूमिधारी तहसीलदार, बेगूं ने भू–आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1992 व खातेदारी अधिकार दिनांक 23.06.2000 को निरस्त करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे, जो दिनांक 27.05.2005 को स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 25.05.2012 को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया कि प्रकरण में:– 1. अपीलांट/अप्रार्थी भूमिहीन सद्भावी काश्तकार नही है। 2. इस संबंध में नये सिरे से जांच कर ली जावें। साथ ही यह भी देखा जावे कि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण एक ही परिवार के, बल्कि पति–पत्नि ही है, को भू–आवंटन किया गया, वह नियमानुसार था एवं आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं तहसीलदार द्वारा की गई भूमि संबंधी जांच रिपोर्ट सही थी। भूमि आवंटन के समय यदि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण भूमिहीन व सद्भावी काश्तकार नही थे, तो अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड में अंकित की जाकर यह रेफरेंस स्वीकार माना जायेगा। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या

02/2012 निर्णय दिनांक 21.05.2014 से अपीलांट/अप्रार्थी को आवंटन भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज कि जाने के आदेश दिये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.05.2014 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः— *"इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरणों के अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन तथ्यों को छिपाकर एवं स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लघंन कर नियम विरूद्ध तरीके से प्राप्त किया गया है। नियमों के प्रतिकूल होने के कारण ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है। ऐसे आवंटन के आधार पर प्राप्त किये गये खातेदारी अधिकार भी निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.05.2012 की पालना में अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज की जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना रेकार्ड व साक्ष्य का सही विवेचन कर सही अर्थ लगाये बिना भू–आवंटन निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर में किये गये रेफरेंस के

पश्चात राजस्व मण्डल द्वारा रिमाण्ड किये गये प्रकरण में निर्णय अंतिम रूप से करके भू–आवंटन व खातेदारी अधिकार निरस्त किये जो आश्चर्यजनक है। रेफरेंस को माना जाता तो उसमे अधीनस्थ न्यायालय को अंतिम निर्णय करने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार कोई कार्यवाही नही की तथा न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया। तहसीलदार, बेगूं द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर यह निर्णय दिया जो आश्चर्यजनक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सद्भावी कृषक नही माना, जो गलत है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट के परिवार का जीवन निर्वाह कृर्षि से ही होता है। वक्त आवंटन अपीलांट भूमिहीन कृषक था ओर वक्त आवंटन अपीलांट के कोई भूमि नही थी। अपीलांट के ससुर के नाम जो भूमि थी उसमें अपीलांट का नोशनल शेयर निकाले पर भी अपीलांट भूमिहीन था। क्योंकि अपीलांट के पति के दो भाई, दो बहने एवं माता मौजूद है एवं अपीलांट के तीन पुत्र व दो पुत्रियां भी मौजूद है। परिवार के अन्य सदस्यों को स्वतंत्र रूप से भूमि आवंटित की गई जिससे अपीलांट का भू–आवंटन प्रभावित नही होता है। क्योंकि भू–आवंटन व्यक्तिगत हैसियत से होता है न कि पारिवारिक हैसियत से अपीलांट के वयस्क पति, ससुर व नणंद को भू–आवंटन होने से अपीलांट का भू–आवंटन प्रभावित नही हो सकता। अपीलांट ने वक्त आवंटन न तो कोई तथ्य छिपाया ओर न ही कोई गलत तथ्य रखा, बल्कि सारी स्थिति आवंटन अधिकारी के समक्ष स्पष्ट थी। अपीलांट अनपढ़ होने से यदि आवेदन भरने में कोई तकनीकी कमी रही हो तो उसमे अपीलांट को भू–आवंटन निरस्त करने कोई आधार नही है एवं तकनीकी भूल के लिए अपीलांट को दोषी नही माना जा सकता है। आवंटन के पश्चात भूमि पुरी तरह से आबाद कर लेने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात कृषक खातेदार को भूमि विक्रय से नही रोका जा सकता और भूमि विक्रय के वैधानिक अधिकारों के

विरीत षडयंत्र की कल्पना कर भू–आवंटन निरस्त करना पूर्णतया गलत है। अतः साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ अति. कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21.05.2014 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2014 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.09.2014 को प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन भी पेश किया है। प्रकरण में मयाद एवं गुणावगुण पर विवेचन करने से पूर्व हम प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन करना उचित समझते हैं।

प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां तहसीलदार बेगूं द्वारा दिनांक 03.07.2004 को एक रेफरेंस अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया एवं इसके साथ ही उसके अन्य परिजनों के किये गये आवंटनों को भी नियमाविरूद्ध होना बताते हुए अन्य आवेदन भी पेश किये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पेश किये गये रेफरेंस प्रकरण संख्या 4/2004 (जिसमें अन्य रेफरेंस संख्या 1/2004, 2/2004, 3/2004 जो अपीलाण्ट के अन्य परिजनों के विरूद्ध) के साथ ही रेफरेंस में अपने आदेश दिनांक 27.05.2005 के द्वारा अपीलाण्ट को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलाण्ट के रेफरेंस प्रकरण सं0 रेफरेंस/एल.आर./4717/2005 को अपीलाण्ट के अन्य परिजनों के रेफरेंस सं0 रेफरेंस/एल.आर./4715/2005,

रेफरेंस/एल.आर./4719/2005 व रेफरेंस/एल.आर./4720/2005 को समेकित करते हुए निर्णय दिनांक 25.05.2012 निम्नानुसार निर्णय पारित किया:–

''निष्कर्ष उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत चारों रेफरेंस को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण भूमिहीन सद्भावी काश्तकार नहीं है, इस संबंध में नये सिरे से जांच कर ली जावें। साथ ही यह भी देखा जावें कि अप्रार्थीगण एक ही परिवार के, बल्कि पति–पत्नी ही है, को भू आंवटन किया गया, वह नियमानुसार था एवं आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र एवं तहसीलदार द्वारा की गई भूमि संबंधी जांच रिपोर्ट सही थी। भूमि आवंटन के समय यदि अप्रार्थीगण भूमिहीन व सद्भावी काश्तकार नहीं थे तो अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि बिलानाम सरकार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर यह रेफरेंस स्वीकार माना जायेगा ।''

अर्थात् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त जिला कलक्टर को जांच करने के बाद यदि जांच में वे बिन्दु प्रमाणित पाये जाते हैं तो रेफरेंस स्वीकार होने का निर्णय पारित किया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.05.2012 के क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पुनः अपने न्यायालय में अपीलाण्ट के रेफरेंस प्रकरण संख्या 02/2012 को अपीलाण्ट के अन्य परिजनों के साथ समेकित निर्णय में अपने निर्णय दिनांक 21.05.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरणों के अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन तथ्यों को छिपाकर एवं स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर नियमविरूद्ध तरीके से प्राप्त किया गया है। नियमों के प्रतिकूल होने के कारण ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

ऐसे आवंटन के आधार पर प्राप्त किये गये खातेदारी अधिकार भी निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.05.2012 की पालना में अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज की जावें।''

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भिजवाये गये रेफरेंस को कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त जिला कलक्टर के जांच करके सत्यापन करने के बाद सशर्त उक्त रेफरेंस को स्वीकार किया। माननीय मण्डल के उपरोक्त रेफरेंस निर्णय के सन्दर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा बाद जांच अपीलाधीन आदेश में रेफरेंस को स्वीकार कर लिया है। अर्थात् प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा जो निर्णय किया गया है, वह अपीलाधीन निर्णय माननीय राजस्व मण्डल के रेफरेंस का निर्णय ही माना जाएगा क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को सशर्त रेफरेंस स्वीकार करने के निर्णय के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा बाद परीक्षण उक्त प्रकरण में माननीय मण्डल के निर्देशों के क्रम में स्वविवेक से उक्त रेफरेंस को स्वीकार किया है, अर्थात् यह प्रकरण रेफरेंस की प्रकृति का प्रकरण है जिस पर निर्णय का अधिकार माननीय राजस्व मण्डल का है एवं राजस्व मण्डल द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को सशर्त अधिकृत किया गया था, तद्नुसार इस निर्णय को हम जिला कलक्टर का निर्णय नहीं मान सकते एवं तद्नुसार इसे धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता नहीं पाते। यह निर्णय मौलिक रूप से रेफरेंस का निर्णय है जिस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस

न्यायालय का नहीं है क्योंकि रेफरेंस पर निर्णय का अधिकार माननीय राजस्व मण्डल का है जो इस न्यायालय से उच्चतर न्यायालय है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं है एवं श्रवणाधिकार विहीन प्रकरणों में न्यायालय किसी भी स्तर पर प्रकरण को खारिज कर सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस प्रकरण में हमारे न्यायालय को इस प्रकरण की श्रवणाधिकारित हेतु सक्षम नहीं पाते, अतएवं श्रवणाधिकार विहीन होने से यह प्रकरण खारिज किया जाता है। अपीलाण्ट आलोच्य अपीलाधीन आदेश के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अपील अपीलाण्ट श्रवणाधिकार विहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर